बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

बिहार राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक (Right to Service Bill) प्रारूप पर सुझाव देने हेतु अनुरोध

सूचना

राज्य सरकार "बिहार राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक" कानून बनाने के लिए कृतसंकल्प है और इससे संबंधित विधेयक को आगामी विधानमंडल सत्र में लाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। इस विधेयक के प्रारूप को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट **www.gad.bih.nic.in/ www.personnel.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है। साथ–ही–साथ इस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण में शामिल किये जाने वाले प्रस्तावित सेवाओं के लिए निर्धारित समयावधि आदि से संबंधित सूची भी उक्त वेबसाईट पर डाल दी गयी है।

2. इस प्रस्तावित विधेयक की मुख्य–मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं:–

(i) राज्य सरकार समय–समय पर उन सेवाओं को अधिसूचित करेगी, जिसे इस कानून के अंतर्गत लागू करना है। साथ ही नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी (Designated Officer), प्रथम अपीलीय पदाधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकार तथा सेवाओं को देने के निर्धारित समय–सीमा को भी अधिसूचित किया जाएगा।

(ii) Designated Officer को निर्धारित समय–सीमा के अंदर सेवाओं को देना है और नहीं दिये जाने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के यहाँ जा सकता है जहाँ से Designated Officer को निर्देशित किया जा सकेगा कि आवश्यक सेवा उपलब्ध करायी जाए।

(iii) इसके पश्चात् भी यदि सेवा नही दी जाती है तो द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है जहाँ से निम्न निर्णय हो सकते हैं:–

(क) Designated Officer को निर्धारित अवधि के अंदर सेवा पहुंचाने का आदेश दिया जा सकता है।

(ख) Designated Officer एवं अन्य पर दंड लगाया जा सकता है।

(ग) प्रतिदिन देरी के लिए भी 250/– रु0 प्रतिदिन की दर से दंड लगाया जा सकता है, जो अधिकतम 5000/–रु0 की सीमा के अधीन होगा।

(घ) अनुशासनिक कार्रवाई के लिए भी सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा की जा सकती है।

(iv) राज्य सरकार के पास यदि कोई आवेदन आता है जिसमें सेवा निर्धारित समय–सीमा के अंदर नहीं देने की शिकायत हो तो राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि उस आवेदन को सीधे ही द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को इस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए भेज दे।

(v) राज्य सरकार चाहे तो State Public Delivery Service Commission का गठन कर सकती है और उसे इस कानून के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक या उससे अधिक कार्य सौंपे जा सकते हैं।

3. आप सभी से अनुरोध है कि प्रारूप विधेयक पर यदि आपके सुझाव हैं तो ई–मेल **secy-par-bih@nic.in** के माध्यम से अथवा निम्न पते पर भेजा जाए। हमें उम्मीद है कि आपके बहुमूल्य सुझाव **5 जनवरी, 2011** के पूर्व प्राप्त होंगे जो इस विधेयक प्रारूप को और अधिक परिष्कृत एवं प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

पता:–
प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार,
मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना–800 015
फैक्स नं0 : 0612–2217466

(दीपक कुमार)
प्रधान सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

पी.आर.–9254 (सा.प्र.)10–11

सरकारी सेवा जनसेवा का माध्यम है। धर्म–ईमान की तरह इसे भी बेदाग रखें।